न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

रामकरण / वादी बनाम कार्यवाही मय इत्तिलाशियान्स आज दरबा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/4/24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधि. अन्य कार्य में व्यस्त है गत आदेशों की पालना में दिनांक 15/6/24 को पेश हो। गिड़	
14-6-24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधि. अन्य कार्य है गत आदेशों की पालना में दिनांक 6-8-24 को पेश हो। गिड़	
6-8-24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधि. अन्य कार्य है गत आ... दिनांक 8-10-24 को पेश हो। गिड़	
8/10/2024 - पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों द्वारा प्रा० पत्र आपसी सहमति का पेश कर पुनः कुर्रेजात हेतु निवेदन किया की अतः प्रकरण में तहसीलदार को पुनः सहमती कुर्रेजात हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली वास्ते कुर्रेजात हेतु दिनांक 21/10/24 को पेश हो।	
21/10/2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप० उभयपक्षों द्वारा मुताबिक कुर्रेजात दिनांक 15/10/2024 अनुसार अंतिम निर्णय डिक्री जारी किये जाने पर पत्र प्रवी से सहमती पत्रावली पर दी गयी है अतः वादी का वाद सहमती के आधार पर मुताबिक कुर्रेजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर प्राप्त पत्रावली बाद तामील होकर दाखिल दफ्तर रखी जाकर नकल शामिल करने तहसील रवाना हो।	दि: 15.10.24 के कुर्रेजात के आधार पर FD हेतु सहमत हैं। (वादी) 17/10/24 (Def No. 1, 3, 4, 5) (प्रतिवादी) (Def No 3)

न्यायालयः— उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज.)

राजस्व प्रकरण संख्या— 129 / 21 पीठासीन अधिकारी

रज्जु दिनांक :— 23.01.2021 श्री विजेन्द्र कुमार मीना (आर.ए.एस)

1. रामकरण पुत्र नारायण उम्र 52 वर्ष
2. रेशम देवी पत्नी रामराय उम्र 49 वर्ष
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा

(वादीगण)

बनाम

1. बरदी देवी पत्नी रामफुल
2. रामपति देवी पत्नी शम्भूलाल
   } जाति मीना निवासी ग्राम श्रीमा तहसील लालसोट जिला दौसा राज.
3. हंसा देवी पत्नी फैलीराम जाति मीना निवासी अजबपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज.
4. ईश्वर लाल पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी का बड का पाडा तहसील लालसोट जिला दौसा राज.
5. मथूरी देवी पत्नी लल्लू प्रसाद जाति मीना निवासी ग्राम दौलतपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राज.
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज.

(प्रतिवादीगण)

वाद विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

अ.धा. 53 व 188 रा. का अधि.

निर्णय

दिनांकः— 21/10/2024

उपस्थित :— वादीगण की ओर से श्री नाथूलाल मीना एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1,2,4, व 5 की ओर से : श्री तेजराम मीना एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 3 ओर से श्री नरेन्द्र जांगिड़ एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से पैरोकार सरकार

वाद के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की भूमि आराजी खसरा नं. 4/2 रकबा 1.4018 हैक्टेयर वाकै ग्राम बड का पाडा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी भूमि में पक्षकारान के मध्य विभाजन के संबधं में विवाद है। उक्त आराजी भूमि को वादपत्र में वादग्रस्त आराजी भूमि से सम्बोधित किया जा रहा है। विवादित आराजी भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसका हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। जिस पर वादीगण काबिज रहकर काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे है परन्तु वर्तमान मे उक्त भूमि प्रस्तावित एन. एच. मुख्य मार्ग पर होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 वादीगण को अनुचित प्रकार से हैरान व परेशान कर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने लग गये जिसका उन्हे किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार हासिल नही है। विवादित भूमि का सभी खातेदारान द्वारा मौके पर विभाजन कर रखा है तथा सभी सहखातेदारान अपने अपने हिस्से की भूमि पर काविज रहकर काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे है तथा पूर्व में विभाजन पक्षाकारान द्वारा कर

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

रखा था परन्तु दिनांक 15.11.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा विवादित भूमि पर मौके पर विवाद करने लग गये तब वादीगण द्वारा उन्हे समझाया परन्तु वे नही माने तथा वादीगण द्वारा जब प्रतिवादीगण से विभाजन हेतु कथन किया तो उन्होने विभाजन करवाने से साफ इन्कार किया जाकर वादीगण को बेजा चेतावनी दी गई जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर वादीगण को आपने हक व हकूको की रक्षार्थ उक्त वादपत्र सेवामें पेश करना पडा है। वादीगण मान्य न्यायालय से संरक्षण प्राप्त करके विवादित भूमि बाबत मौके पर आधिपत्यनुसार एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत प्रकार से विभाजन राजस्व अभिलेख माल नक्शा ट्रेस में अमल करवाने के अधिकारी है तथा वादीगण प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवने के अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 विवादित भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त बुआई जुताई आदि कृषि कार्य करने कराने में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे न करावे तथा बिना विधिवत विभाजन उक्त भूमि में किसी विशिष्ठ भू भाग का रहन, बय, हस्तान्तरण नही करे न करावे तथा प्रतिवादी संख्या 6 उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखे एतदर्थ उक्त वाद पत्र सेवामें पेश है। वादीगण का वादपत्र मुताबिक वाद की अंतिम डिक्री फरमाया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई । उसके उपरांत न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.06.2022 को जारी की गई इसके बाद अंतिम डिक्री दिनांक 17.08.2022 को जारी की गई। जिसकी प्रतिवादीगण द्वारा मा. न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के यहा अपील प्रस्तुत की गई जिस पर मा. न्यायालय ने निर्णय दिनांक 29.06.2022 व 17.08.2022 को अपास्त कर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रति प्रेषित की गई है। जिस प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभयपक्षो को तलब किया गया। उभयपक्षों द्वारा आपसी सहमति से पुनः कुर्रेजात मंगवाये जाने पर न्यायायल में सहमति जाहिर की गई। तदुपरान्त प्रकरण में दिनांक 08.10.2024 को प्राथमिक डिर्की जारी की गयी जिसकी अनुपालना में तहसीलदार लालसोट के पत्रांकः– भू.अ./24/3237 दिनांक 15.10.2024 के द्वारा मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी कूर्रेजात 3–3 प्रतियों में न्यायालय में प्रस्तुत किये है। जो शामिल पत्रावली किये गये। उभयपक्षों के द्वारा दिनांक 15.10.2024 को प्राप्त कुर्रेजातों पर अंतिम निर्णय एवं डिक्री हेतु सहमति जाहिर की गई।

अतः तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत कुर्रेजात का भी अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादीगण का वाद अन्तिम रूप से पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत जवाब वाद पत्र एवं वकील उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर अंतिम रूप से नियमानुसार डिक्री जारी किया जाता है:–

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	मथुरा देवी पत्नी लल्लु प्रसाद कौम मीना सा. दौलतपुरा खातेदार	209/4/1	0.1772 हैक्टयर	बा.3	0.71
	योग	**किता 1**	**0.1772 हैक्टयर**	**बा.3**	**0.71**
2	ईश्वर लाल पुत्र रामपाल कौम मीना सा.देह खातेदार	209/4/2	0.0974 हैक्टयर	बा.3	0.39
	योग	**किता 1**	**0.0974 हैक्टयर**	**बा.3**	**0.39**
3	रामकरण पुत्र नारायण कौम मीना सा. श्रीमा खातेदार	209/4/3	0.2113 हैक्टयर	बा.3	0.84
	योग	**किता 1**	**0.2113 हैक्टयर**	**बा.3**	**0.84**
4	बरदी देवी पत्नी रामफूल कौम मीना सा. श्रीमा खातेदार	209/4/4	0.1752 हैक्टयर	बा.3	0.70
	योग	**किता 1**	**0.1752 हैक्टयर**	**बा.3**	**0.70**
5	रेशम देवी पत्नी रामरूप कौम मीना सा. श्रीमा खातेदार	209/4/5	0.2764 हैक्टयर	बा.3	1.10
	योग	**किता 1**	**0.2764 हैक्टयर**	**बा.3**	**1.10**
6	रामपति देवी पत्नी शम्भूलाल कौम मीना सा. श्रीमा खातेदार	209/4/6	0.2891 हैक्टयर	बा.3	1.16
	योग	**किता 1**	**0.2891 हैक्टयर**	**बा.3**	**1.16**
7	हंसा देवी पत्नी फैलीराम कौम मीना सा अजबपुरा खातेदार	209/4/7	0.1752 हैक्टयर	बा.3	0.70
	योग	**किता 1**	**0.1752 हैक्टयर**	**बा.3**	**0.70**

उक्तानुसार तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि मुताबिक अन्तिम डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा बटा नम्बर अंकित किये जाकर मुताबिक कुर्रेजात पृथक–पृथक लगान का निर्धारण कर दिया जावे एवं पक्षकारान बैंक ऋण प्राप्तकर्ता अपना–अपना, ऋण स्वयं वहन करेगे। तहसीलदार लालसोट को कुर्रेजात की एक प्रति मय नक्शा ट्रेस इस निर्णय के साथ भिजवायी जावें। प्रकरण में डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट